**संख्या- 101 / 2020 /एम-128/चार-2018-51(वि)/2016**

प्रेषक,

शिशिर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

**संस्कृति अनुभाग:** **लखनऊ: दिनांक 20 मार्च 2020**

विषय:- संस्कृति विभाग के अधीन उ0प्र0 ललित कला अकादमी, लखनऊ के कार्मिकों को सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

राज्य कर्मचारियों के लिये शासनादेश संख्या- वे0आ0-2-773/दस-62(एम)/2008 दिनांक 05 नवम्बर, 2014, शासनादेश संख्या- 08/2015-वे0आ0-2-190/दस-62(एम)/2008टीसी-1 दिनांक 03 मार्च, 2015 तथा शासनादेश संख्या- 50/2015-वे0आ0-2-871/दस-62(एम)/2008 दिनांक 26 अगस्त, 2015 से ए0सी0पी0 की व्यवस्था लागू की गयी है। उ0प्र0 ललित कला अकादमी, लखनऊ के कार्मिकों को ए0सी0पी0 का लाभ दिये जाने के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इन कार्मिकों को वित्त विभाग के उपर्युक्त शासनादेशों को अंगीकृत करते हुए दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से प्रकल्पित आधार पर तथा इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से वास्तविक रूप से ए0सी0पी0 का लाभ अनुमन्य कराये जाने की राज्यपाल महोदय द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. उक्त प्रस्तर-1 के संदर्भ में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि चूंकि वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 05 नवम्बर, 2014 में शासकीय कर्मचारियों के लिये दिनांक 30 नवम्बर, 2008 तक लागू समयमान वेतनमान संबंधी प्राविधानों का भी उल्लेख है और उ0प्र0 ललित कला अकादमी के कार्मिकों को समयमान वेतनमान की व्यवस्था अनुमन्य नहीं रही है तथा इन्हें सीधे दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से ए0सी0पी0 का लाभ अनुमन्य कराया जा रहा है। अत: उपर्युक्त प्रस्तर-1 में उल्लिखित शासनादेशों दिनांक 05 नवम्बर, 2014, दिनांक 03 मार्च, 2015 एवं दिनांक 26 अगस्त, 2015 में जो भी प्राविधान समयमान वेतनमान की व्यवस्था से संबंधित हैं, या समयमान वेतनमान की व्यवस्था के क्रम में ए0सी0पी0 का लाभ दिये जाने से संबंधित हैं, वह उ0प्र0 ललित कला अकादमी के कार्मिकों पर लागू नहीं होंगे।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या- 340 /ई-7 /दस-20, दिनांक 18 मार्च, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
(शिशिर)
विशेष सचिव।

**संख्या: 101 /2020/एम-128/चार-2018 -51(वि)/2016 तद्दिनॉक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (प्रथम/द्वितीय) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
(3) वित्त (व्यय नियंत्रण अनुभाग-7)
(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
(5) वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-2 (02 प्रतियों में)
(6) वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) सचिव, उ0प्र0 ललित कला अकादमी, लखनऊ।
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(शिशिर)
विशेष सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।